न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 14/2017

बउनवान

छीतरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री रघुनाथ जाति—बैरवा निवासी—खेडलीकेशो तहसील—बारां, जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 22.01.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—खेडलीकेशो, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.35 हैक्टर किस्म सिवायचक बारानी पर अतिक्रमी मानकर 175/—रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय काल्पनिक तौर पर कब्जा मानता है तो अपीलांट मौके पर कब्जा छोड चुका है। हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर अपीलांट को यह कभी नहीं बताया कि आपका अमुक स्थान पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई किये उक्त आदेश पारित किया है। अपील खारिज फरमायी जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है, हल्का पटवारी के माध्यम से जानकारी होने पर कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

मानकर सजायाब किया है, पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई साक्ष्य बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.4.2016 निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 397/14 निर्णय दिनांक 25.2.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 379/16 में पारित निर्णय दिनांक 11.4.2016 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 11.4.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.4.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)